न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या /2023

राज्य बनाम रमेश तोमर आदि

मु0अ0सं0 57/2023
अं0धारा 146,147,188,324,332,353,427,341 व 34 भा0दसं0,
व धारा 3/4 लोक सम्पत्ति व नुकसान का निवारण अधिनियम,
तथा धारा 07 किमनल लॉ एमन्डमेंटे अधिनियम
थाना कोतवाली–देहरादून।

दिनांक 15.02.2023

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. रमेश तोमर, 2. लुसून टोडरिया, 3. हरिओम भट्ट, 4. मोहन कैथोला, 5. बाबी पंवार 6, नितिन दत्त, 7, राम कण्डवाल** की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र ,मु0अ0सं0 57/2023, अं0/धारा अं0धारा 146,147,188, 324, 332,353,427,341 व 34 भा0दसं0, 1860, व धारा 3/4 लोक सम्पत्ति का नुकसान निवारण अधिनियम, तथा धारा 07 किमनल लॉ एमन्डमेंटे अधिनियम अंतर्गत थाना कोतवाली, जरिये विद्वान अधिवक्त श्री मनमोहन सिंह कर्णवाल, श्री अनिल कुमार शर्मा , अजय त्यागी, आशीष गुप्ता, दीपक गुप्ता यह कहते हुए प्रस्तुत किया है, कि अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त अपराध नहीं किया है। उसे झूठा फंसाया गया है। वे उपरोक्त पते के निवासी है उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह न्यायालय के आदेशानुसार अपनी जमानत देने को तैयार है। अतः उहें जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई।

3. विवेचक थाना कोतवाली, जरिये अभियोजन अधिकारी श्रीमती ममता मनादुली लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई है। अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास का विवरण अंकित किया गया है। जो निम्न प्रकार है:;

अभियुक्त बॉबी पंवार के विरूद्ध

1. मु0अ0सं0 40/2020 धारा 147,332,353,342 309 भा0द0सं0,1860 थाना डालनवाला।
2. मु0अ0सं0 274/2002, धारा 147,186 व 341 भा0द0सं0,1860 थाना डालनवाला।
3. मु0अ0सं0 56/2003, धारा 147,186 ,188,283,390व 341 भा0द0सं0,1860 थाना कोतवाली ।
4. मु0अ0सं0 57/2023, धारा 147,186,188,332,341,34,353, 427 भा0द0सं0,1860, धारा 3/4 लोक सम्पत्ति नुकसान अधिनियम, तथा धारा 07 किमनल लॉ एमन्डमेंटे अधिनियम।

अभियुक्त शुभम नेगी के विरूद्ध

1. मु0अ0सं0 56/2003, धारा 147,186 ,188,283,390व 341 भा0द0सं0,1860 थाना कोतवाली ।
2. मु0अ0सं0 57/2023, धारा 147,186,188,332,341,34,353, 427 भा0द0सं0,1860, धारा 3/4 लोक सम्पत्ति नुकसान अधिनियम, तथा धारा 07 किमनल लॉ एमन्डमेंटे अधिनियम।

अभियुक्त नितिन दत्त के विरूद्ध

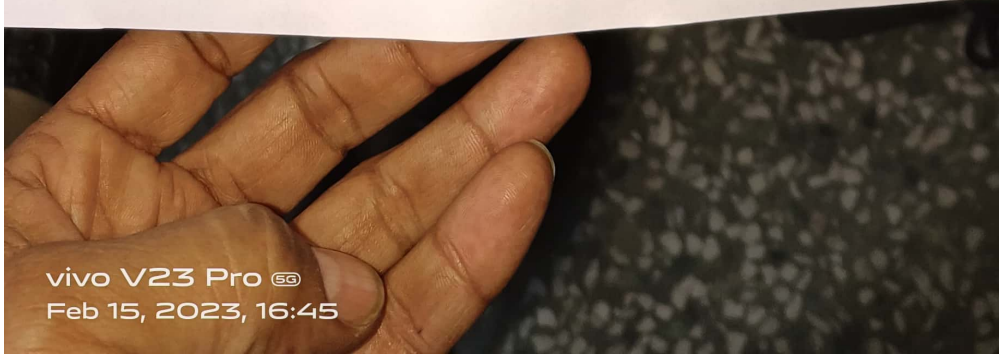

Scanned with CamScanner

1. मु0अ0सं0 56/2003, धारा 147,186 ,188,283,390व 341 भा0द0सं0,1860 थाना कोतवाली ।

2. मु0अ0सं0 57/2023, धारा 147,186,188,332,341,34,353, 427 भा0द0सं0,1860, धारा 3/4 लोक सम्पत्ति नुकसान अधिनियम, तथा धारा 07 किमनल लॉ एमन्डमेंटे अधिनियम।

अभियुक्त राम कण्डवाल के विरूद्ध

1. मु0अ0सं0 56/2003, धारा 147,186 ,188,283,390व 341 भा0द0सं0,1860 थाना कोतवाली ।

2. मु0अ0सं0 57/2023, धारा 147,186,188,332,341,34,353, 427 भा0द0सं0,1860, धारा 3/4 लोक सम्पत्ति नुकसान अधिनियम, तथा धारा 07 किमनल लॉ एमन्डमेंटे अधिनियम।

अभियुक्त मोहन कैन्थुला के विरूद्ध

1. मु0अ0सं0 56/2003, धारा 147,186 ,188,283,390व 341 भा0द0सं0,1860 थाना कोतवाली ।

2. मु0अ0सं0 57/2023, धारा 147,186,188,332,341,34,353, 427 भा0द0सं0,1860, धारा 3/4 लोक सम्पत्ति नुकसान अधिनियम, तथा धारा 07 किमनल लॉ एमन्डमेंटे अधिनियम।

तथा कथन किया कि जमानत पर छोड़े जाने पर अभियुक्तगण द्वारा पुनः अपराध के पुनरावृत्ति करने की पूर्ण संभावना है। उक्त आधार पर जमानत का विरोध किया गया है।

4. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण व विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. प्रपत्रो के अवलोकन से विदित है, कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण व सह अभियुक्तगणाके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 57/20023, अं0/धारा अं0धारा 146,147,188, 307, 332,353,427,341 व 34 भा0दसं0, 1860, व धारा 3/4 लोक सम्पत्ति को नुकसान का निवरण अधिनियम, 1984 तथा धारा 07 किमनल लॉ एमन्डमेंटे अधिनियम, यह कहते हुए, दर्ज कराई गई है, कि अभियुक्तगण द्वारा अन्य व्यक्तियो के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव कर, आने जाने वालो का रास्ता अवरूद्ध कर, धरना, प्रदर्शन किया गया। पुलिस के उच्चाधिकारियो व प्रशासन के अन्य अधिकारियो के द्वारा समझाने पर उनके सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया तथा मारपीट कर वर्दी भाड़ दिया तथा पत्थर फेंक कर सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुॅचाया गया है।

6. अभियुक्तगण पर आरोप है, कि उनके द्वारा उग्रतापूर्ण आंदोलन कर, सरकारी सम्पत्ति को क्षति कारित की गई है। इस संबंध में प्रस्तुत आख्या व उपलब्ध प्रपत्रो में सरकारी सम्पत्ति का विवरण तथा नुकसान का अनुमान का कोई उल्लेख नहीं है।

7. अभियुक्तगण पर दौराने आंदोलन पुलिस कर्मियो की वर्दी फाड़ने का आक्षेप है। उपलब्ध अभिलेखों में ऐसी वर्दी या ऐस अन्य कोई चीज कब्जे में नहीं लिया गया है। जहॉ तक पत्थरबाजी किये जानें से पुलिस अधिकारियो/कर्मचारियो पर गम्भीर चोट कारित किये जाने का

vivo V23 Pro 5G
Feb 15, 2023, 16:45

Scanned with CamScanner

प्रश्न है? इस संबंध में चोटिलो के मेडिकल प्रस्तुत किये गये है। जिनमें चोटिलो पर सामान्य चोट होना दर्शित किया है। इस परिपेक्ष में बचाव पक्ष के वि0 अधिवक्तागण का कथन है कि घटना के पश्चात पुलिस विभाग द्वारा आंदोलन में पत्थरबाजी करने वाले तथा सरकारी सम्पत्ति को क्षतिकारित करने वाले 10 लोगो को चिन्हित किया गया है, तथा अन्य लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित किये गये व्यक्तियो में से कोई भी निरूद्ध अभियुक्तगण नहीं है। बचाव पक्ष के वि0 अधिवक्तागण ने घटना स्थल पर शांतिपूर्ण धरना, प्रदर्शन करना स्वीकार किया है। धरना, प्रदर्शन लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। शांतिपूर्ण धरना, प्रदर्शन करने वालो की सुरक्षा के साथ–साथ, शातिपूर्ण धरना, प्रदर्शन में अराजकता करने वालो के विरूद्ध कार्यवाही करने का दायित्व पुलिस पर है।

8. एफ0आई0आर0 13 नामजद अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज की गई है। एफ0आई0आर0 में नामजद अभियुक्तगण के विशिष्ठ कृत्यो का उल्लेख नहीं किया गया है। अर्थात वर्तमान अभियुक्तगण के विरूद्ध अतिरिक्त अथवा विशेष तथ्य व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. 5 अभियुक्तगण का आपराधिक विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसमें से एफ0आई0आर0 संख्या 56/2023 व 57/2023 वर्तमान घटना क्रम से संबंधित है। अभियुक्त बॉबी पंवार के विरूद्ध उपर्युक्त के अतिरिक्त दो एफ0आई0आर0 मु0अ0सं0 40/2020 व 274/2022, थाना डालनवाला में दर्ज होना दिखाया गया है। बचाव पक्ष ने कथन किया गया है, एफ0आई0आर0 संख्या 56/2023 में अभियुक्तगण की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। मात्र एफ0आई0आर0 दर्ज होना, अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास को दर्शित नहीं करता है। साक्ष्य से छेड़छाड करने तथा विवेचना प्रभाति करने के संबंध में अभियोजन ने कोई कथन नहीं किया है। यह कथन कि अभियुक्तगण द्वाराअपराध की पुर्नावृत्ति की पूर्ण संभावना है। विदित हो, कि प्रकरण में धरना, प्रदर्शन में पथरावत आम जनता का आक्षेप है।

8. अभियुक्तगण का प्रथम रिमाण्ड 146,147,188, 324, 332,353,427,341 व 34 भा0दसं0, 1860, व धारा 3/4 लोक सम्पत्ति नुकसान का निवारण अधिनियम, तथा धारा 07 क्रिमनल लॉ एमन्डमेंटे अधिनियम स्वीकार किया गया है। जिसमें से धारा 146,147,188 व 427 भा0द0स0, 1860 को छोडकर सभी धाराये अजमानतीय प्रकृति की है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 10.02.2023 से न्यायिक अभिरक्षा में है। मामला मजिस्ट्रेट, न्यायालय द्वारा विचारणीय है। ऐसी परिस्थिति में मामले में गुण–दोष पर विचार किये बिना उर्पयुक्त चर्चा के आधार पर यह न्यायालय सशर्त जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार पाती है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा 30,000/–रू0 का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो–दो प्रतिभू दाखिल पर निम्न शर्ता के अधीन जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

(क) प्रार्थी/अभियुक्त निष्पादित बंधपत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होगा।

vivo V23 Pro 5G
Feb 15, 2023, 16:45

Scanned with CamScanner

(ख) प्रार्थी/अभियुक्त उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

(ग) प्रार्थी/अभियुक्त मामले के तथ्यो से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष एसे तथ्यो को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः , उसे कोई उत्प्रेरण, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाडेगा।

इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इस बात की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करे, कि वह किसी उग्र आंदोलन में भाग नहीं लेगें तथा सरकारी सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुॅचायेगें अथवा आंदोलन एवं सरकारी सम्पत्ति को नुकसानन किये जाने का कोई कारण नहीं बनेगें तथा बिना पूर्व अनुमति के सार्वजनिक स्थल पर धरना, प्रदर्शन नहीं करेगें।

उत्तराखण्ड क्रिमनल कोर्ट प्रोसिजर प्रेक्टिस रूल 2021, नियम 33 (यथा संशोधन) के अनुक्रम में कार्यालय को आदेशित किया जाता है, कि निरूद्ध अभियुक्त को, जरिये जेल अधीक्षक, जमानत प्रार्थनापत्र, आख्या व आदेश की प्रति प्राप्त कराये जाने हेतु, प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

8-02-023

(लक्ष्मण सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून।

vivo V23 Pro 5G
Feb 15, 2023, 16:45

Scanned with CamScanner